(51) 5

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **महेश चन्द्र चौधरी**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील-226/2019/देवास/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 12-12-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 1096/अपील/2017-18

---

1. राजेश पिता मानसिंह झाला
2. विष्णु पिता मानसिंह झाला
   निवासी – ग्राम चिडावद तह. टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1) श्रीराम पिता दर्यावजी खाती
2) प्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण खाती
3) मांगीलाल पिता राजाराम खाती
   निवासी – ग्राम बरखेड़ा तह. टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)
4) म.प्र. शासन द्वारा पटवारी मौजा चिडावद
   तह. टोकखुर्द जिला देवास (म.प्र.) .....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-06-2019 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 12-12-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रस्तुत द्वितीय अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी राजेश द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदक ने ग्राम चिडावद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2489 रकबा 0.78 हे. के नक्शे की रकबा त्रुटि सुधारने का आवेदन कलेक्टर जिला देवास के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को तहसीलदार, टोंकखुर्द को प्रत्यावर्तित कर बंदोबस्त के पूर्व एवं बंदोबस्त के पश्चात के राजस्व रिकार्ड से सत्यापन कर स्थल पर पहुंच कर समीपस्थ कृषकों के

समक्ष स्थल पंचनामा तैयार कर जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ द्वारा प्रकरण कलेक्टर प्रकरण कलेक्टर, देवास को प्रेषित किया गया । कलेक्टर न्यायालय से प्रकरण अंतरित कर अपर कलेक्टर न्यायालय को भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 04-04-2017 को आदेश पारित कर नक्शा दुरूस्ती की स्वीकृति प्रदान की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-12-2018 को आदेश पारित कर अपर कलेकटर जिला देवास का पारित नक्शा दुरूस्ती का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट भूमिस्वामी सर्वे नं 2489 रकबा 0.78 का भूमिस्वामी होकर राजस्व अभिलेख में उसका नाम है बंदोबस्त के दौरान नक्शे की आकृति छोटी कर दी गई जो जांच में शुद्ध करने का प्रतिवेदन में दर्शाई गई है, राजस्व न्यायालय के अधीनस्थ पदाधिकारियों ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय स्वयं पुन: नवीन जांच करा सकते है, जो उन्होने नहीं करने की भंयकर भूल की है तथा शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों का शासकीय भूमि पर कोई स्वत्व नहीं होता, उनका आधिपत्य संरक्षित नहीं किया जा सकता, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट का कौन सा सर्वे नंवर प्रभावित हो रहा है इसका कोई उल्लेख नहीं किया मात्र पड़ोसी की उपस्थिति में पडोसी को सुनवाई किये बगैर अपीलांट का मूल प्रार्थना पत्र धारा 107 म.प्र.भू-राजस्व संहिता का निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक गलती की है । उन्होने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैध, विधि विरूद्ध एवं प्राप्त क्षेत्राधिकारों के प्रतिकूल होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्त द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. यह कि, अपर कलेक्टर देवास के प्रकरण क्र. 14/अ-05/16-17 आदेश दिनांक 04.04.2017 का अवलोकन करने से यह प्रथम दृष्टिया स्पष्ट होता है कि, रेस्पॉडेंटगण को विचारण न्यायालय में कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही रेस्पॉडेटगण को सुनवाई का अवसर दिया गया है। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि, प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर परमआवश्यक है। इस महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दू को विचारण न्यायालय ने अनदेखा कर गंभीर कानूनी भूल की है।
2. यह कि, विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर देवास के समक्ष अपीलांट का कोई कथन भी लेख बद्ध नहीं किया है और न ही अपीलांट के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि किसी भी राजस्व कर्मचारी के दस्तावेज के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि कोई भी दस्तावेज जब तक विचारण न्यायालय में प्रदर्शित नही होता है तब तक उन दस्तावेज के आधार पर कोई कोरा निर्णय पारित नहीं किया जा सकता, क्योकि दस्तावेज प्रमाणित करने का भार अपीलांट पर था जो अपीलांट ने न कर विधि की भूल की है। इस कारण भी अधिनस्थ अपील न्यायालय ने अपर कलेक्टर देवास का आदेश निरस्त किया है इस कारण भी अपीलांट की अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि,अपीलांट राजेश पिता मानसिंह के नाम भूमि सर्वे क्र. 2489 राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, अपीलांट राजेश ने विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर देवास के समक्ष किस हैसियत आवेदन प्रस्तुत किया, उसका कोई विधिक साक्ष्य व दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही रिकार्डेट भूमि स्वामी की ओर से अपीलांट राजेश को प्रकरण में उनकी ओर से पॉवरऑफ अटर्नी भी प्रदान नहीं की है, ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अधिनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर कोई अनियमिता व अवैधता नहीं की है।
4. यह कि, विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट राजेश को आवेदन प्रस्तुत करने का कोई लोकास्टेण्डा प्राप्त नहीं था। और न ही अधिनस्थ विचारण न्यायालय से अपीलांट राजेशने आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति भी प्राप्त नहीं की थी, इस प्रकार के वैधानिक बिन्दू को भी अपर कलेक्टर देवास ने ध्यान न देकर गंभीर कानूनी भूल की थी, ऐसे अनियमित एवं अवैधानिक आदेश को अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन ने निरस्त कर विधि के प्रतिपादित सिद्धांत का पालन किया है।
5. यह कि, विचारण न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, एसडीओं देवास द्वारा भी रेस्पॉडेंटगण को सुनवाई का अवसर न देकर असत्य आधारों पर एकपक्षीय रूप से प्रकरण में अनुशंसा की है जो स्थानीय जांचकी श्रेणी में न आकर मात्र ऑफिस कार्यालय में बेठकर असत्य पंचनामा व प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित किया था जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस कारण भी अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे।
6. यह कि , अधिनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट राजेश ने दिनांक 20.05.2015 को आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पॉडेंटगण के विरूद्ध शिकायत की थी, तब अधिनस्थ विचारण न्यायालय का परम कर्तव्य था कि, वह प्रभावित काश्तकार को तलब कर अपना पक्ष रखने का सुअवसर प्रदान करते एवं समस्त कार्यवाही की जानकारी रेस्पॉडेंटगण को दिये जाने की विधि का पालन किया जाना था जो न कर गंभीर कानूनी भूल की है।
7. यह कि, विचारण न्यायालय के अभिलेख में जो विज्ञप्ति का लेख किया गया है वह भी संगधिग्ध एवं असत्य लेख कर तैयार की है, विज्ञप्ति के पृष्ठ भाग पर देखने से प्रथम दृष्टिया यह दर्शित होता है कि, इसका प्रकाशन किस दिनांक को किया गया एवं ऐसी विज्ञप्ति की कार्यवाही किसके माध्यम से की गई, विज्ञप्ति के पृष्ठ भाग में एक ही विज्ञप्ति पर दो स्थान का लेख किया गया, जबकि दोनो स्थानों की दूरी 20 किलोमीटर के अंतराल की है। विज्ञप्ति नस्पा करने वाले व्यक्ति का नाम अस्पष्ट एवं आवक-जावक नं. का भी कही उल्लेख तामिल कुलिन्दा द्वारा नही किया गया, ऐसी स्थिति में विज्ञप्ति का प्रकाशन होना विधि अनुसार नहीं माना जा सकता, इस कारण भी अपीलांट की अपील निरस्त की जावे।
8. यह कि, विचारण न्यायालय द्वारा मात्र पंचनामे के आधार पर अक्श त्रुटि हेतु कार्यवाही की गई है, राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, यदि सीमांकनव फिल्डबुक तैयार नहीं की गई है तो अनुमान के आधार पर अक्श त्रुटि का आवेदन पत्र स्वीकार करना कानूनी भूल है। इस कारण भी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्ती योग्य है।
9. यह कि, अधिनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अक्श त्रुटि हेतु करवाई गयी जांच में कही भी रेस्पॉडेंट के रकबे व अक्श के बारे में लेख नहीं है, जबकि होना यह था कि, आसपास के पडौसी काश्तकारों का रकबा का मिलान एवं सर्वेक्षण किया जाना, विधि की आवश्यकता है एवं इस टेक्नीक का प्रयोग

जांचकर्ता राजस्व निरीक्षक ने न कर मनमाने तौर पर बगेर किसी भौतिक सत्यापन किये रिर्पोट पेश की थी जो निरस्ती योग्य है । इसी आधार पर अपीलांट की अपील निरस्ती योग्य है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिशीलन पश्चात मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया । वस्तुत: अपीलार्थी के द्वारा कलेक्टर देवास के न्यायालय में मूल आवेदन म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा आकृति में त्रुटि सुधार करते हुए रकवा दुरूस्ती की राहत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । कलेक्टर न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करके तहसीलदार टोंकखुर्द की ओर से इस निर्देश के साथ भेजा गया कि बंदोबस्त के पूर्व एवं बंदोबस्त के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड से सत्यापित कर स्थल जांच उपरांत पंचनामा सहित रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रकरण भेजा जावे । मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार टप्पा चिढ़ावत के द्वारा प्रकरण में जांच उपरांत पंचनामा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 22-08-2016 के अनुसार निकटवर्ती काश्तकारों को सुनवाई करने के लिये प्रकरण पुन: नायब तहसीलदार की ओर वापिस किया गया । नायब तहसीलदार ने अपनी आदेश पत्रिका दिनांक 15-09-2016 में यह उल्लेख किया है कि आवेदन पडोसी कृषकों, हल्का पटवारी तथा ग्राम कोटवार की उपस्थिति में जांच की गई जिसका स्थल पंचनामा संशोधित नक्शा लाल स्याही से अंकित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर यह उल्लेख किया है कि उक्त आकृति अर्थात् प्रस्तावित त्रुटि सुधार से आस-पास के सर्वे नम्बरों के कृषक प्रभावित नहीं होते है। उक्त अनुशंसा के साथ प्रकरण अंतिम आदेश हेतु कलेक्टर देवास की ओर भेजा गया । कलेक्टर देवास ने दिनांक 01-12-2016 को अपर कलेक्टर की ओर अंतरित किया । अपर कलेक्टर ने अंतिम आदेश दिनांक 04-04-2017 को पारित किया । विचारण न्यायालय में सार्वजनिक विज्ञप्ति स्थल जांच रिपोर्ट पंचनामा सहित उपलब्ध है । उक्त् मूल दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि संहिता की धारा 107 के अंतर्गत विधिवत कार्यवाही निचले स्तर पर की गई है । नायब तहसीलदार के द्वारा की गई कार्यवाही पर अनुविभागीय अधिकारी की अनुसंशा है । अंतिम आदेश अपर कलेक्टर देवास द्वारा दिनांक 04-04-2017 को पारित किया गया है । उपरोक्तानुसार अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 12-12-2018 मूल अभिलेख के परिशीलन पश्चात खारिज किया जाता है । इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । अपर कलेक्टर देवास का आदेश दिनांक04-04-2017 स्थिर रखा जाता है ।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर